रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-91/2020/259/22-2-2020-17(07)/2018

लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 2020

शुद्धि-पत्र

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आनन्द बिहारी दीक्षित पुत्र श्री चर्तुभुज दीक्षित, निवासी नई कॉलोनी, थाना-सिविल लाइन, जनपद इटावा के कारागार से मुक्त करने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-801/2018/1538/22-2-2018-17(07)/2013 दिनांक 22.10.2018 (प्रति संलग्न) की पांचवी एवं छठी पंक्ति में अंकित "**दिनांक 30.04.2004 को मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या**-6), **इटावा** " के स्थान पर "**दिनांक 27.09.2008 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0) इटावा तथा सत्र परीक्षण संख्या संख्या--152/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अधीन दिनांक 30.04.2004 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश**, **कोर्ट संख्या-6 इटावा** " पढ़ा जाय।

2 उक्त शासनादेश दिनांक 22-10-2018, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-91/2020/259(1)/22-2-2020 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को उनके पत्रांक-901/ए0आर0-1 दिनांक 06.01.2020 के संदर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in